



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129423

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 9804/2026

विजय सिंह

... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : रामेश्वर गौड़, सुनील कुमार सिंह, उमेश त्रिपाठी

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान एजीए को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन बी.एन.एस. 2023 की धारा 318(4) और आईटी अधिनियम की धारा 66डी, पुलिस स्टेशन- साइबर अपराध, जिला- अलीगढ़ के तहत मुकदमा अपराध संख्या 116/2026 में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान प्रकरण में गलत तरीके से फंसाया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आवेदक ने अपने भाई को 17,65,000/- रुपये में से ठगा था। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता के भाई और आवेदक ने जानबूझकर लाभ कमाने के लिए पैसे लगाए थे। आवेदक ने कभी भी सूचनाकर्ता के भाई को धोखा नहीं दिया था और एक बार नुकसान होने के बाद, क्योंकि पैसा एक गेमिंग ऐप में निवेश किया गया था, आवेदक को सूचनाकर्ता द्वारा दोषी ठहराया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 1.02.2026



से जेल में है। एक आरोप-पत्र भी प्रस्तुत किया गया है और आवेदक को अब किसी भी हिरासत में पूछताछ या किसी भी वसूली के लिए आवश्यकता नहीं है।

4. दूसरी ओर, विद्वान एजीए ने जमानत देने के लिए प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क दिया है कि आवेदक वर्तमान प्रकरण में एकमात्र आरोपी है। आवेदक ने सूचनाकर्ता के भाई को धोखा दिया है और उसे 17,65,000 रुपये का धोखा दिया है। जांच के दौरान, मौद्रिक लेनदेन का विवरण एकत्र किया गया है, जो स्पष्ट रूप से संबंधित अपराध में आवेदक की संलिप्तता को दर्शाता है।

5. मैंने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया है।

6. आवेदक 1.02.2026 से जेल में है, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आरोपपत्र से संकेत मिलता है कि अभियोजन पक्ष पांच गवाहों से पूछताछ करने का प्रस्ताव करता है। आवेदक के खिलाफ कथित अपराधों की सुनवाई मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है और आवेदक के खिलाफ मुकदमा निकट भविष्य में समाप्त होने की संभावना नहीं है।

7. प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जमानत के लिए *प्रथम दृष्टया* प्रकरण बनाया जाता है।

8. जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

9. अभियुक्त-आवेदक **विजय सिंह**, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में सम्मिलित है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो-दो विश्वसनीय प्रतिभुओं के बंधपत्र निष्पादित करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक साक्ष्य से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

(iii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर कोई दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न प्रदान कर दी जाए।



10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, विचारण न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर जारी किया जाएगा, जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई है और संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ सत्यापित किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी।

12. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजेगा।

13. यहां ऊपर की गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए हैं और उन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ल)

29 जून 2026

सचिन